

**झारखण्ड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**

प्रेषक,

एस० के० शतपथी,  
 प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची;  
 संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;  
 जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक : ११-३-१३

**विषय :-** मॉग संख्या-५०-लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-४७०२-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, लघु शीर्ष-७९६-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-२० पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य, विस्तृत शीर्ष-०५-निर्माण, ४३ अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण, विपत्र कोड-५०P470200796200543 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१२-२०१३ में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष ४७०२-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-१ में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	५०-लघु सिंचाई विभाग /४७०२-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	७९६-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना / २० पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य	०५-निर्माण, ४३ अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण / ५०P470200796200543	२०.००

आवंटित राशि - ₹ बीस लाख मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष २०१२-२०१३ के बजट उपबंध ₹ ३५०.०० लाख (₹ तीन करोड़ पचास लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.१९९८ एवं १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३ के आलोक में होंगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का अक्षरशः पालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट-१ में वर्णित कार्यों के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्राप्ति प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(ओंकार नाथ)  
 सहायक अभियंता

(जयप्रकाश भट्टाचार्य)  
 उप सचिव (अभियंता)

(सुबोध कुमार सिन्हा)  
 संयुक्त सचिव (अभियंता)

(बी. सी. निगम)  
 विशेष सचिव

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 28 मार्च 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

**नोट :** यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

**अनु. :- यथोक्त**

(एस० के० शतपथी)  
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

२३।

रॉची, दिनांक :- १६ -३ -'१३

**प्रतिलिपि :-** महालेखाकार (लेखा एवं हकू.) झारखण्ड पो. - हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा/खूंटी सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अनु. :- यथोक्त**

(एस० के० शतपथी)  
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

२३।

रॉची, दिनांक :- १६ -३ -'१३

**प्रतिलिपि :-** प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त, /सचिव, योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अनु. :- यथोक्त**

 (ओंकार नाथ) (जयप्रकाश भट्टाचार्य) (सुबोध कुमार सिन्हा) (बी. सी. निगम) (एस० के० शतपथी)  
सहायक अभियंता उप सचिव (अभि.) संयुक्त सचिव (अभि.) विशेष सचिव प्रधान सचिव

मोंग संख्या-50-लघु सिंचाई विभाग,

मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूर्जीगत परिव्यय,

लघु शीर्ष-796-जन जातीय लेनदेन उपयोजना,

उपशीर्ष-20-पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 43 अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुरक्षणीकरण,

विपत्र कोड-50P470200796200543

बजट उपबंध (वर्ष 2012-13) रु. 350.00 लाख

राशि (लाख रुमें)

क्र.	लघु सिंचाई प्रमाणित	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम			प्रशासनिक स्वीकृति का प्राप्ति	वित्तीय वर्ष 2012-13 में आवंटन	अन्युकृति		
				प्रसंग	राशि	ताक व्यव		पूर्व का	वर्तमान		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	मध्यम सिंचाई योजना का पुनर्स्थापन										
1	लघु सिंचाई प्रमाणित, खुंटी	राची	झुंझु	1	अरकिया सोतिया मध्यम सिंचाई योजना का पुनर्स्थापन	09/12-13 प्र०स्वी० दिनांक-18.06.12	95.350	0.000	0.000	20.000	20.000
								योग	0.000	20.000	20.000

आवंटित राशि - ₹ बीस लाख मात्र।

(ओंकार नाथ)  
सहायक अभियंता

(जयप्रकाश भट्टाचार्य)  
उपसचिव (अभि.)

(सुबोध कुमार सिन्हा)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

(दी. सी. नियम)  
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)  
प्रधान सचिव